विलोपित

विलोपित

न्यायालय समक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर मप्र

निगरानी-3144/2018/सतना/स्टाम्प अधि. प्रकरण कमांक........./

भारती इंफ्राटेल लिमिटेड

मुख्य कार्यालय – भारतीय कीसेंट नेंसल मंडेला

रोड बसंत कुंज नई दिल्ली .... निगरानीकर्ता

द्वारा आज दिनांक ...... प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 31.5.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

मप्र भासन

द्वारा कलेक्टर आफ स्टांप

जिला सतना मप्र ....अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 56(4) भारतीय स्टांप अधिनियम 1899

उक्त निगरानी अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान कलेक्टर आफ स्टांप जिला सतना मप्र द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 33/41 भारतीय स्टांप अधिनियम को निरस्त करनें संबंधी पारित आदेश दिनांक 23.03.2018 कें विरुद्ध दुखित एंव परिवेदित होकर न्याय दान हेतु समय अवधि में प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी प्रकरण के तथ्य

1) यह कि निगरानीकर्ता भारत सरकार कें दूरसंचार विभाग कंपनी अधिनियम 1956 कें प्रावधानो कें अन्तर्गत एक पंजीबद्व कंपनी है। निगरानीकर्ता का कर्तव्य दूर संचार अधो संरचना की सेवाएं केंटेगिरी /आई पी कंपनी कें रुप में उपलब्ध कराना है, दूर दराज ईलाकों में दूर संचार देनें कें लिए निगरानीकर्ता द्वारा अन्य जिलों में टावर स्थापित कियें जातें है। जिसकें लिए निगरानीकर्ता लीज डीड एग्रीमेंट का निष्पादन करातें है

2) यह कि उपरोक्त कम में ही निगरानीकर्ता द्वारा नाथूलाल आत्मज श्री भैयालाल निवासी– ग्राम गंगबारिया तहसील नागोद जिला सतना सें एक लीज डीड अनुबंध दिनांक 24.02. 2015 को निष्पादित किया गया था।

3) यह कि उपरोक्त अनुबंध पत्र को सम्यक रुप सें स्टांपित होनें पर उसका पंजीयन करायें जानें हेतु निगरानीकर्ता नें अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर आफ स्टांप जिला सतना कें समक्ष एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 33/41 भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 दिनांक 14.02.2017 को अपनें अधिवक्ता कें माध्यम सें प्रस्तुत किया था।जिसमें निवेदन किया था कि निगरानीकर्ता पंजीयन भाुल्क अदा करनें हेतु तत्पर है इस कारण उक्त विलेख का उचित पंजीयन करने की कृप्या करें परन्तु अधिनस्थ न्यायालय नें निगरानीकर्ता कें उक्त आवेदन का अवलोकन किये बिना विधि को समझे बिना सरसरी तौर पर प्रकरण का निराकरण करते हुए आवेदन निरस्त करनें संबंधी निगरानीग्रस्थ आदेश दिनांक 23.03.2018 पारित कर दिया । जिसें पारित करनें कें पूर्व अधिनस्थ न्यायालय नें विधि कें अनुकम में प्रकरण भी दर्ज नही किया न ही निगरानीकर्ता कें तर्क श्रवण कियें न ही भारतीय स्टांप अधिनियम की धारा 33/41 में वर्णित प्रावधानों व नियमों का पालन किया जिससें आदेश पूर्वाग्रह सें ग्रसित होकर स्वेक्षाचारी होनें सें व सकारण, बोधगामी आदेश की श्रेणी में होने सें आदेश स्थिर रखे जानें योग्य नही है। जिसके विरुद्ध उक्त निगरानी माननीय न्यायालय कें समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3144/2018/सतना/स्टा.अ.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/06/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन एवं अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री राजीव शर्मा उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष स्टाम्प पंजीयन हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा एक टीप लगाकर आवेदन मूलत: वापस कर दिया गया। जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प की टीप के विरुद्ध इस न्यायालय में निगरानी किस प्रकार प्रचलन योग्य है। उक्त संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा कोई स्पष्ट कारण अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। ऐसी स्थिति में यह निगरानी इस न्यायालय में प्रचलन योग्य न होने से इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। आवेदक अधिवक्ता सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र हैं। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	